भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 349

दिनांक 03 **फरवरी**, 2022

ईएसएसएआर कंपनी के साथ गेल का समझौता

349. **श्री गोपाल शेट्टी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक निजी क्षेत्र की कंपनी ईएसएसएआर (एस्सार) ने वर्ष 1996 में सरकारी क्षेत्र की गैस कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के साथ किसी गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत एस्सार कंपनी को एच बी जे पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली गैस के लिए परिवहन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और एस्सार कंपनी परिवहन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार एस्सार कंपनी पर गैस का कितना परिवहन शुल्क देय है;

(ग) क्या एस्सार कंपनी ने गेल को उपर्युक्त शुल्क का भुगतान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गेल ने उक्त शुल्क की शीघ्र वसूली के लिए कोई कदम उठाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (घ): मैसर्स एस्सार ने गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के साथ गैस आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत कुछ परिवहन प्रभारों का गेल को भुगतान किया जाना था। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, गेल को परिवहन प्रभारों के रूप में 62,68,50,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। एक प्रचालनीय लेनदार के तौर पर मैसर्स गेल के अनिर्णीत दावों को बाद में दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत दिवाला कार्यवाही के एक भाग के रूप में समाप्त कर दिया गया था। आज की तारीख में, कोई बकाया देय नहीं हैं।

****